

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका सं०-: 2/एम०-24/2020

पटना, दिनांक- / /2020

कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर राज्य के आमजनों को घर बैठे सरकारी चिकित्सकों से चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु 8010111213 (अस्सी दस ग्यारह बारह तेरह) हेल्पलाइन सेवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। राज्य का कोई भी नागरिक उक्त नम्बर पर मिस्ड कॉल कर चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सकेगा। संबंधित व्यक्ति के मिस्ड कॉल के बाद कॉल सेन्टर से कॉल बैक कर सम्बन्धित व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी और उनके द्वारा बताये गये लक्षणों के आधार पर चिकित्सक द्वारा जाँच एवं दवा संबंधी चिकित्सीय पुर्जा (prescription) एस०एम०एस के माध्यम से भेजा जाएगा। यह सुविधा प्रातः 8 बजे से संध्या 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

2-सम्प्रति कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के प्राथमिक एवम् सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ओ०पी०डी० सेवा प्रायः बंद है। इस स्थिति में प्राथमिक एवम् सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा अपनी सेवा उक्त हेल्पलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा पदाधिकारी एवं संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को राज्य स्वास्थ्य समिति/WHO (World Health Partner) के द्वारा ऑनलाईन प्रशिक्षण कराया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु संबंधित जिलों को क्रमशः ऑनलाईन लिंक भेजा जाएगा।

3-सभी सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले के सभी प्राथमिक एवम् सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक उक्त प्रशिक्षण में अचूक रूप से भाग लें।

4-प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक : 2/एम०-24/2020 471(2) /स्वा०, पटना, दिनांक : 20/4 /2020

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव